

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:- प. 4(1)कार्मिक/क-2/अं.प्र./2008

जयपुर, दिनांक:

26 FEB 2013

समस्त अति० मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर

परिपत्र

विषय:-कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.11 के अनुसार सम्पन्न हो चुकी रिज्यू डीपीसी/डीपीसी के संबंध में।

कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक: 11.01.13 के द्वारा समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों से अधिसूचना दिनांक 11.09.11 के अनुसार जिन सेवा/पद के लिए रिज्यू डीपीसी/नियमित डीपीसी की बैठके आयोजित की जा चुकी है के संबंध में सूचना चाही गयी थी, जोकि अभी तक अपेक्षित है जिसे गम्भीरता से लिया गया है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी वांछित सूचना कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.11 के अनुसार जिन सेवा/पद के लिए वर्ष 1997-98 से 2012-13 तक की रिज्यू डीपीसी/नियमित डीपीसी की बैठके आयोजित की जा चुकी है तथा कितने राजसेवक पदोन्नत किये गये है, के संबंध में अपने अधीनस्थ विभागों से सूचना इकजाई कर निम्नांकित प्रपत्र में दिनांक 07.02.13 को 3.00 P.M. तक कार्मिक विभाग के ई-मेल (dopcomputer@yahoo.co.in)/फैक्स न०(0141-2227988) /विशेष पत्र बाइक से भिजवाया जाना अवश्यमेव सुनिश्चित करें।

विभाग / सेवा	पदनाम	पदोन्नति वर्ष जिसकी डीपीसी को रिज्यू/नियमित डीपीसी की जाकर वर्गवार कितने-कितने राजसेवक को पदोन्नत किया गया	कितने राजसेवकों को एडवक पदोन्नत किया गया	बकाया रिज्यू डीपीसी/नियमित डीपीसी कब तक की जावेगी तथा कितने राजसेवक पदोन्नत होंगे	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
		GEN SC ST			

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

(सुदर्शन सेठी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

संयुक्त शासन सचिव

8/2013